हडको
hudco
A NAVRATNA CPSE

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज न.
1.	**पृष्ठभूमि**	2
2.	**उद्देश्य**	2
3.	**नीति का दायरा**	2
4.	**धोखाधड़ी की परिभाषा**	3
5.	**धोखाधड़ी की श्रेणी में आने वाली कार्रवाइयां**	3
6.	**धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशासनिक संरचना**	4
7.	**निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई**	**5**
8.	**नोडल अधिकारी**	6
9.	**धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए स्थायी समिति**	6
10.	**धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करने की प्रक्रिया**	6
11.	**धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच**	7
12.	**जांच के लिए समय सीमा**	8
13.	**कार्मिकों की जवाबदेही**	9
14.	**धोखाधड़ी की घटनाओं की आरबीआई को रिपोर्ट करने की पद्धतियाँ**	10
15.	**धोखाधड़ी की रोकथाम**	11
16.	**धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के लिए रूपरेखा**	13
17.	**दंडात्मक उपाय**	14
18.	**समाधान के तहत खातों का उपचार**	14
19.	**विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग**	14
20.	**आरबीआई को रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना**	**15**
21.	**विधि लेखा परीक्षा**	**15**
22.	**अन्य ऋणदाताओं / एआरसी को बेचे गए धोखाधड़ी खाते**	**15**
23.	**लेखा परीक्षकों की भूमिका**	**16**
24.	**अन्य निर्देश**	**16**
25.	**प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के लिए टेम्पलेट (अनुलग्नक - ए)**	**17**

1. **<u>पृष्ठभूमि</u>**

आरबीआई ने 15 जुलाई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश 2024 जारी किए। ये निर्देश इस विषय पर पहले के आरबीआई निर्देशों का स्थान लेंगे। ये निर्देश धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और समय पर रिपोर्टिंग तथा प्रबंधन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और आरबीआई को इससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के प्रावधान ऊपरी परत, मध्य परत और आधार परत (500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली) में सभी एनबीएफसी पर लागू होते हैं।

2. **<u>उद्देश्य</u>**

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी में धोखाधड़ी के जोखिम को रोकने, उसे पता लगाने और निगरानी करने के लिए बनाई गई है। नीति को उपरोक्त आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन प्रावधानों में कोई भी बाद में संशोधन, स्वतः ही, इस नीति पर लागू होगा।

3. **<u>नीति का दायरा</u>**

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बोर्ड/बोर्ड समितियों और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करेगी और समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उपायों को भी शामिल करेगी। यह नीति किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है, जिसमें कार्मिक (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, संविदा कार्मिक) के साथ-साथ उधारकर्ता, परामर्शदाता, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, ऋणदाता, ठेकेदार, शेयरहोल्डर, हडको के साथ व्यापार करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/या हडको के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले अन्य पक्ष शामिल हैं।

नीति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी और प्रदान करेगी: -

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और धोखाधड़ी को रोकने और/या धोखाधड़ी होने पर उसका पता लगाने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना।

ii. हडको के साथ काम करने वाले कार्मिकों और अन्य लोगों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, उन्हें किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकना और जहां उन्हें किसी धोखाधड़ी गतिविधि का संदेह है, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

iii. धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने, किसी भी धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग करने और धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों से उचित रूप से निपटने और भविष्य में ऐसा न होने के लिए निवारक उपाय करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करना।

iv. धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच करना।

v. निगरानी प्रणाली को मजबूत करना ताकि धोखाधड़ी की घटना का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सके और बाद में होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए उपचारात्मक/निवारक उपाय किए जा सकें।

vi. कार्मिकों सहित सभी संबंधित पक्षों को यह संदेश देना कि संगठन किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगा।

vii. उपयुक्त एमआईएस और विनियामक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना।

4. <u>धोखाधड़ी की परिभाषा</u>

धोखाधड़ी एक जानबूझकर किया गया कार्य है जो किसी व्यक्ति/कर्मचारी या किसी अन्य संस्था जैसे उधारकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, सलाहकार आदि द्वारा धोखे, दमन, चूक, छिपाव या किसी अन्य धोखाधड़ी/अवैध तरीके से जानबूझकर किया जाता है।

5. <u>धोखाधड़ी की श्रेणी में आने वाली कार्रवाइयां</u>

निम्नलिखित कुछ ऐसे कार्य हैं जो धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं। नीचे दी गई सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है:

i) कंपनी से संबंधित किसी भी दस्तावेज़, वित्तीय साधनों या खातों की जालसाजी या परिवर्तन।

ii) धोखाधड़ी के माध्यम से धन, प्रतिभूतियों या अन्य परिसंपत्तियों का दुरुपयोग।

iii) कंपनी के अभिलेखों या किसी अन्य परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल, किसी गुप्त उद्देश्य से विनाश, निपटान, हटाना, ।

iv) संपार्श्विक के शीर्षक पर विवाद को छिपाना या मौजूदा धारकों की स्वीकृति के बिना कई उधारदाताओं को एक ही संपार्श्विक देना।

v) आपराधिक विश्वासघात।

vi) तथ्यों को जानबूझकर दबाना।

vii) अवैध संतुष्टि के लिए धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएँ प्रदान करना।

viii) जाली उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी से नकदीकरण।

ix) व्यक्तिगत/अनधिकृत उद्देश्यों के लिए कंपनी के धन/ब्रांड नाम/गुडविल आदि का उपयोग करना।

x) आपूर्ति न किए गए सामान या प्रदान न की गई सेवाओं के लिए भुगतान को अधिकृत करना या प्राप्त करना।

xi) ऋणदाता की सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री।

xii) कोई अन्य कार्य जो धोखाधड़ी गतिविधि की श्रेणी में आता है।

हडको सीडीए नियमों या व्यवहारिक आचरण में परिभाषित किसी कर्मचारी के नैतिक, नैतिक, आचरण और अनुशासन से संबंधित संदिग्ध अनियमितताओं का समाधान मानव संसाधन विंग द्वारा किया जाएगा।

6. <u>धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशासनिक संरचना</u>

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के संस्थागतकरण को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के पास समग्र जोखिम प्रबंधन कार्य के भीतर एक उपयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था होगी। समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उपायों को शामिल करने के लिए, हडको के पास निम्नलिखित होंगे:

- कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने और ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उनके द्वारा दिए गए जवाबों/प्रस्तुतियों की जांच करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली।

- उन व्यक्तियों, संस्थाओं और उनके प्रमोटरों/पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों को जारी किया गया विस्तृत एससीएन, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जा रही है, जिसमें लेनदेन/कार्रवाई/घटनाओं का पूरा विवरण दिया गया हो।

- जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को एससीएन दिया गया है, उन्हें जवाब देने के लिए कम से कम **21** दिनों का उचित समय दिया जाना चाहिए।

- संबंधित नोडल अधिकारी संबंधित व्यवसाय इकाई प्रमुख के माध्यम से कार्यात्मक निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एससीएन जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, कॉर्पोरेट

कार्यालय में, संबंधित व्यवसाय इकाई प्रमुख कार्यात्मक निदेशक की मंजूरी के बाद एससीएन जारी करेगा।

- संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्ति/संस्था को एक तर्कपूर्ण आदेश दिया जाएगा, जिसमें सीएमडी की मंजूरी से खाते को धोखाधड़ी या अन्यथा घोषित करने/वर्गीकृत करने के बारे में निगम के निर्णय की जानकारी दी जाएगी। ऐसे आदेश में प्रासंगिक तथ्य/परिस्थितियां, एससीएन के खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबमिशन और धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में वर्गीकरण के कारण शामिल होने चाहिए।

  "व्यक्ति" में तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता और पेशेवर जैसे आर्किटेक्ट, मूल्यांकक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि शामिल हैं।

7. <u>निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई</u>

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) - आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड स्तर की समिति का गठन करेगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सीईओ/सीएमडी और दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। मिडिल लेयर और बेस लेयर के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी के पास कम से कम तीन सदस्यों वाली कार्यकारी समिति (सीओई) का गठन करने का विकल्प होगा, जिनमें से कम से कम एक पूर्णकालिक निदेशक होगा, जो एससीबीएमएफ की भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने के उद्देश्य से होगा। आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, हडको एक मिडिल लेयर एनबीएफसी होने के नाते बोर्ड की मंजूरी से कार्यात्मक निदेशक की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (सीओई) का गठन करेगा।

सीओई हडको में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की देखरेख करेगा और धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करेगा, जिसमें मूल कारण विश्लेषण शामिल है और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और तिमाही आधार पर धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए शमन उपाय सुझाएगा। धोखाधड़ी की घटनाओं की आवधिक समीक्षा भी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर रखी जाएगी।

व्हिसल ब्लोअर नीति: हडको यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करेगा कि संभावित धोखाधड़ी के मामलों/संदिग्ध गतिविधियों पर व्हिसल ब्लोअर शिकायतों की जांच की जाए और व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाए।

वित्तीय विवरण: हडको अपने वित्तीय विवरणों-नोट्स टू अकाउंट्स में वर्ष के लिए कंपनी में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी से संबंधित राशि का खुलासा करेगा।

8. नोडल अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रमुख को "नोडल अधिकारी" नामित किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्यालय में, विभागाध्यक्ष/व्यवसाय इकाई "नोडल अधिकारी" होगी। यदि संदिग्ध धोखाधड़ी नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है, तो कार्यकारी "नोडल अधिकारी" वह अधिकारी होगा जिसे वह अधिकारी रिपोर्ट कर रहा है। नोडल अधिकारी/व्यवसाय इकाई प्रमुख सभी कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं से परिचित कराएंगे, कर्मचारियों को धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने के बारे में शिक्षित करेंगे। नोडल अधिकारी/व्यवसाय इकाई प्रमुख प्राप्त सभी सूचनाओं को गोपनीय मानेंगे। कॉर्पोरेट कार्यालय में धोखाधड़ी प्रकोष्ठ के प्रमुख धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए मामले को प्राप्त करेंगे, संकलित करेंगे और स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा धोखाधड़ी प्रकोष्ठ के प्रमुख बोर्ड, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), सीओई, आरबीआई आदि को रिपोर्ट करेंगे, ताकि नियामक अनुपालन सुनिश्चित हो और इस नीति के दायरे में एमआईएस बनाए रखा जा सके। लागू धोखाधड़ी मामलों से संबंधित जानकारी सतर्कता विंग को दी जाएगी, ताकि उसे एबीबीएफएफ को आगे प्रस्तुत किया जा सके। क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल अधिकारी/व्यवसाय इकाई प्रमुख समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्यालय के धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को इस संबंध में स्थिति से अवगत कराएंगे।

9. धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए स्थायी समिति

प्रबंधन धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा जिसमें विभिन्न विषयों के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें धोखाधड़ी प्रकोष्ठ का प्रमुख एक सदस्य होगा। जांच के तहत योजना की मंजूरी या जारी करने में शामिल अधिकारी स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा।

10. धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

हडको के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाले प्रत्येक कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ, अस्थायी, अनुबंधित), विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं या किसी अन्य एजेंसी के प्रतिनिधि से यह अपेक्षित है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उनके उत्तरदायित्व/नियंत्रण के क्षेत्रों में उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। यदि कोई धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी का पता चलता है, तो इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्यालय में, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना विभागीय प्रमुख को दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति लिखित रूप में इसकी सूचना देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह नोडल अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवा सकता है। नोडल अधिकारी ऐसी धोखाधड़ी की सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी/अन्य

व्यक्ति की पहचान का विवरण बनाए रखेगा। इसके अलावा संबंधित नोडल अधिकारी प्रबंधन को सूचित करने के लिए धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को तुरंत ऐसे मामलों की सूचना देगा।

नोडल अधिकारी रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ इस पर चर्चा नहीं करेगा। निगम धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा और धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले शिकायतकर्ता/व्यक्ति को उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। नोडल अधिकारी ऐसी रिपोर्टिंग पर तेजी से कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्यों को हिरासत में ले लिया जाए या संदिग्ध व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़, नष्ट या हटाए जाने से बचाया जाए। रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह तथ्यों को निर्धारित करने या क्षतिपूर्ति की मांग करने के प्रयास में संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जांच/पूछताछ/व्यक्तिगत रूप से संपर्क न करे। इसके अलावा रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति को मामले के बारे में सख्त गोपनीयता बरतने की सलाह दी जाती है।

11. <u>धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच</u>

क) प्रारंभिक जांच: - संबंधित नोडल अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह क्षेत्रीय कार्यालय में धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी की सूचना दे तथा प्रारंभिक जांच करे। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्यालय में धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी के मामले में, संबंधित व्यवसाय इकाई का प्रमुख प्रारंभिक जांच करेगा। संबंधित नोडल अधिकारी धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को सहायक दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ सूचित करेगा।

यदि प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि होती है कि धोखाधड़ी की गतिविधियां हुई हैं, तो संबंधित नोडल अधिकारी/विभागीय प्रमुख सक्षम प्राधिकारी यानी कार्यात्मक निदेशक की उचित मंजूरी के साथ एससीएन जारी करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो एलईए के साथ आगे की कार्रवाई करेगा।

ख) स्थायी समिति जांच (एससीआई): - प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तथा एससीएन के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर, धोखाधड़ी के मामले की स्थायी समिति द्वारा आगे की जांच की जाएगी।

प्रारंभिक जांच या स्थायी समिति द्वारा जांच के दौरान, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि कोई रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है या धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं है, तो नोडल अधिकारी/स्थायी समिति उचित समर्थन के साथ इस निर्धारण का दस्तावेजीकरण करेगी। धोखाधड़ी प्रकोष्ठ का प्रमुख सक्षम प्राधिकारी अर्थात सीएम से अनुमोदन प्राप्त करेगा, यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं है और मामले को बंद करने की प्रक्रिया के लिए संबंधित नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

यदि स्थायी समिति की जांच से यह पुष्टि होती है कि धोखाधड़ी की गतिविधियां हुई हैं और प्रथम दृष्टया कर्मचारियों की जवाबदेही शामिल है/नहीं है, तो धोखाधड़ी प्रकोष्ठ का प्रमुख, स्थायी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, स्थायी समिति के निष्कर्षों पर संबंधित कार्यात्मक निदेशक के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करेगा और धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी के विवरण को सतर्कता विभाग को सूचना के लिए भेजेगा और यदि आवश्यक हो तो सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच शुरू करेगा।

अगली आवश्यक कार्रवाई करने या तर्कसंगत आदेश जारी करने के लिए नोडल अधिकारी को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

यदि धोखाधड़ी किसी व्यक्ति/संस्था (कर्मचारियों के अलावा) के कारण हुई है, तो नोडल अधिकारी आवश्यक कदम उठाएंगे जैसे कि धोखाधड़ी की शिकायत उचित प्राधिकारी को दर्ज कराना, एहतियात के तौर पर संवितरण रोकना, सीएमडी से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण वापस लेना आदि।

ग) सतर्कता विभाग की जांच: -स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सतर्कता विभाग कर्मचारियों की जवाबदेही के दृष्टिकोण से जांच करेगा और जांच पूरी होने पर, संबंधित कर्मचारी(ओं) के खिलाफ उचित कार्रवाई, जिसमें जांच के परिणाम के आधार पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल होगी, सक्षम प्राधिकारी यानी सीएमडी के अनुमोदन से शुरू की जाएगी।

सतर्कता विभाग धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को उनके द्वारा की गई जांच के परिणाम की जानकारी भी देगा।

जांच की स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी उन लोगों के अलावा किसी अन्य के साथ प्रकट या चर्चा नहीं की जाएगी जिन्हें जानने की वैध आवश्यकता है। यह संदिग्ध लेकिन बाद में गलत आचरण के लिए निर्दोष पाए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से बचने और कंपनी को संभावित नागरिक दायित्व से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

जांच के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से किसी बाहरी पेशेवर एजेंसी या किसी अन्य पक्ष की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

12. <u>जांच के लिए समय सीमा</u>

धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच पूरी करने के लिए निम्नलिखित समय सीमाएं हैं:

प्रारंभिक जांच: - संबंधित नोडल अधिकारी उपलब्ध सूचना और दस्तावेजों के आधार पर प्रारंभिक जांच करेगा और धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी का पता लगने के **15** दिनों के भीतर मुख्यालय में संबंधित व्यवसाय इकाई प्रमुख के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी यानी कार्यात्मक निदेशक के अनुमोदन से उन व्यक्तियों/संस्थाओं को एससीएन जारी करेगा जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप की जांच की जा रही है।

एससीएन के जवाब के आधार पर, संबंधित नोडल अधिकारी आगे की जांच करने के अनुरोध के साथ धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को एससीएन के जवाब के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्थायी समिति जांच: - स्थायी समिति आगे की जांच करेगी और नोडल अधिकारी से अनुरोध की तारीख से **30** दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए कार्यात्मक निदेशक के माध्यम से सीएमडी को धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यदि स्थायी समिति **30** दिनों के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो वह देरी के कारणों को दर्ज करेगी और सीएमडी से विस्तार की मांग करेगी। स्थायी समिति की जांच रिपोर्ट, सीएमडी के अनुमोदन से, यदि आवश्यक हो तो सूचना और आगे की जांच के लिए सतर्कता विभाग को भेजी जाएगी। सतर्कता विभाग: - सतर्कता विभाग आंतरिक नीति के अनुसार समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच शुरू करेगा और उसे पूरा करेगा।

13. <u>कार्मिकों की जवाबदेही</u>

हडको ऋण देने के व्यवसाय में है जिसमें जोखिम शामिल है। इसलिए, उन लोगों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है जो प्रतिस्पर्धी माहौल में व्यावसायिक निर्णय ले रहे हैं। बाजार की स्थितियों में बदलाव, कानून में बदलाव, सरकारी नीति, प्राकृतिक आपदाएँ, सरकारी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा प्रवर्तन आदि जैसे कई कारणों से ऋण खराब हो सकता है। साथ ही उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण भी ऐसा हो सकता है जो संगठन के हितों की रक्षा करने में विफल रहने वाले कर्मचारियों की लापरवाही/कमीशन/मिलीभगत के कारण हुआ हो। जबकि दुर्भावनापूर्ण इरादे/संलिप्तता वाले अधिकारियों के खिलाफ कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सद्भावनापूर्ण गलतियों से सहानुभूति के साथ निपटा जाए। कर्मचारियों की जवाबदेही रूपरेखा की भी आवश्यकता है ताकि केवल उन कर्मचारियों की पहचान की जा सके और उन्हें अनुशासित किया जा सके जो निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने की चूक के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं। जब तक कार्रवाई निर्धारित दिशा-निर्देशों, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर और निगम के हित में है, तब तक वे जवाबदेही को आकर्षित नहीं करते हैं। कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच, घटना के समय की परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए तथा प्रबंधकीय निर्णय की तकनीकी योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए पूर्वज्ञान का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

निर्धारित नीति का अनुपालन न करने पर निम्नलिखित मामलों में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी:

• कोई कर्मचारी जो धोखाधड़ी की गतिविधि का संदेह करता है या पता लगाता है तथा इस नीति के अनुसार इसकी रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देता है।

• जिस विभाग में धोखाधड़ी की गई है, उसका कोई कर्मचारी संदिग्ध धोखाधड़ी के प्रासंगिक दस्तावेजों को नोडल अधिकारी/धोखाधड़ी प्रकोष्ठ/सतर्कता विभाग के साथ साझा नहीं करता है।

धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों में जहां कर्मचारियों की संलिप्तता संदिग्ध है, सतर्कता विभाग निर्धारित नीति के अनुसार समयबद्ध तरीके से कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच शुरू करेगा और उसे पूरा करेगा। कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाएगी। **3** करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों को सभी स्तर के अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों (पूर्व अधिकारियों/पूर्व डब्ल्यूटीडी सहित) की भूमिका की जांच के लिए सीवीसी द्वारा गठित बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) को भेजा जाएगा।

बहुत वरिष्ठ अधिकारियों (सीएमडी/सीईओ/ईडी या समकक्ष रैंक के अधिकारियों)* से जुड़े मामलों में, एसीबी उनकी जवाबदेही की जांच शुरू करेगा और इसे बोर्ड के समक्ष रखेगा। हडको भी ऐसे मामलों को एबीबीएफएफ को भेजेगा।

*ऐसे अधिकारी बोर्ड/एसीबी/एससीबीएमएफ की बैठक में भाग नहीं लेंगे जिसमें उनकी जवाबदेही पर विचार किया जाना है।

14. <u>धोखाधड़ी की घटनाओं की आरबीआई को रिपोर्ट करने की पद्धतियाँ</u>

एफएमआर-I (वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी पर रिपोर्ट): यह रिटर्न वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी पर रिपोर्ट दर्ज करता है। धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट, चाहे इसमें कितनी भी राशि क्यों न हो, घटना/खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तिथि से तुरंत लेकिन 14 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।

एफएमआर-III (फॉर्म एफएमआर-I का अद्यतन): यह रिटर्न धोखाधड़ी पर प्रगति रिपोर्ट दर्ज करता है और इसे एफएमआर-I विवरण में कोई भी विकास होने पर दाखिल किया जाना चाहिए।

एफएमआर-IV: (चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट के मामलों की रिपोर्टिंग) चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट पर तिमाही रिटर्न (आरबीआर) तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर आरबीआई के

ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए।

हडको चोरी/सेंधमारी/डकैती/लूट (प्रयास किए गए मामलों सहित) की घटनाओं की रिपोर्ट धोखाधड़ी निगरानी समूह, पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई को उनकी घटना से 7 दिनों के भीतर तुरंत करेगा।

धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी चूक के मामले में, प्रबंधन जांच करेगा और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा, यदि कोई हो।

असाधारण परिस्थितियों में, उचित औचित्य के अधीन और कम से कम निदेशक के पद के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ एफएमआर को वापस लिया जा सकता है या अपराधियों के नाम एफएमआर से हटाए जा सकते हैं।

एफएमआर रिपोर्टिंग के लिए: -

"घटना की तारीख" वह तारीख है जब धन का वास्तविक दुरुपयोग होना शुरू हुआ है, या घटना घटी है, जैसा कि ऑडिट या अन्य निष्कर्षों में साक्ष्य/रिपोर्ट किया गया है।

"पता लगाने की तारीख" वास्तविक तारीख है जब संबंधित शाखा/ऑडिट/विभाग में धोखाधड़ी सामने आई, जैसा भी मामला हो, न कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख।

"वर्गीकरण की तारीख" वह तारीख है जब ऐसे वर्गीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन प्राप्त किया गया है और तर्कसंगत आदेश पारित किया गया है।

15. <u>धोखाधड़ी की रोकथाम</u>

प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख/व्यवसाय इकाई प्रमुख को धोखाधड़ी के प्रति आंतरिक और बाह्य संवेदनशीलता को कम करने के लिए विभिन्न लेखापरीक्षाओं के दौरान विश्लेषण/टिप्पणियों के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक निवारक/सुधारात्मक कदम उठाने का अधिकार होगा।

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं:

i) दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण की स्वीकृति के समय विस्तृत सावधानी बरती जानी चाहिए।

ii) परियोजना मूल्यांकन के समय, परियोजना के सभी तकनीकी मापदंड जैसे लागत अनुमान, परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक अनुमोदन आदि, वित्तीय अनुपात सहित वित्तीय मापदंड, परियोजना के नकदी प्रवाह विवरण की तैयारी के

लिए विचार की गई धारणाएं, मांग मूल्यांकन आदि की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

iii) ऋण की स्वीकृति के समय और कानूनी दस्तावेजीकरण के समय विस्तृत कानूनी सावधानी बरती जानी चाहिए, जैसा कि विधि मास्टर परिपत्र के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

iv) निर्माण अवधि के दौरान परियोजना की नियमित निगरानी।

v) परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

vi) एस्क्रो खाते की नियमित निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना से सभी अंतर्वाह और बहिर्वाह निर्दिष्ट एस्क्रो खाते के माध्यम से हो रहे हैं और यदि कोई हो तो धन के परिवर्तन (डायवर्जन) की जांच करना।

vii) अनुबंध करार, मंजूरी/ऋण दस्तावेजों/सब्सिडी/अनुदान करारों आदि की सामान्य शर्तों में उचित संशोधन किए जाएंगे, जिसमें सभी बोलीदाताओं/सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं/ऋणदाताओं/उधारकर्ताओं/परामर्शदाताओं आदि को यह प्रमाणित करना होगा कि वे हडको की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का पालन करेंगे और अपने संगठन में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होने देंगे या ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे और जैसे ही यह उनके ध्यान में आएगा, वे धोखाधड़ी/संदेहास्पद धोखाधड़ी के बारे में संगठन को तुरंत सूचित करेंगे।

viii) ये शर्तें बोली/ऋण/सब्सिडी/अनुदान आवेदन प्रस्तुत करने और अनुबंध/ऋण/सब्सिडी/अनुदान/रिपोर्ट आदि के निष्पादन के करार के समय दस्तावेजों का हिस्सा बनेंगी। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, निगम उन्हें वर्तमान/भविष्य के लेन-देन से रोक सकता है।

ix) आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और/या परियोजना निगरानी समूह द्वारा उधारकर्ता/परियोजना खाते की आवधिक समीक्षा की जाएगी और अनुबंध की सहमत शर्तों से प्रमुख विचलन (यदि कोई हो) की रिपोर्ट की जाएगी ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

x) निषिद्ध संगठनों की सूची हडको वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और आगे की आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, संबंधित विभाग द्वारा शुरू की जाएगी।

16. धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के लिए रूपरेखा

हडको के पास धोखाधड़ी के जोखिम के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के लिए एक रूपरेखा होगी। कंपनी समग्र जोखिम प्रबंधन कार्य के तहत ऋण सुविधाओं/ऋण खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए उचित प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों की पहचान करेगी। ईडब्ल्यूएस रूपरेखा में मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतक, बाजार खुफिया जानकारी, उधारकर्ताओं का आचरण आदि शामिल होंगे ताकि रूपरेखा को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। प्रारंभिक चेतावनी संकेतक संभावित धोखाधड़ी के कोण से गहन जांच को सचेत/प्रारंभ करेंगे और निवारक उपाय शुरू करेंगे। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की रिपोर्टिंग के लिए टेम्पलेट/ रूपरेखा **अनुलग्नक ए** के रूप में रखा गया है।

प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की सूचना तुरंत धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस का समेकित अद्यतन विवरण तिमाही आधार पर सीओई द्वारा विचार-विमर्श के लिए धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को रिपोर्ट किया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस रूपरेखा को सीओई के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सत्यापन के अधीन किया जाएगा ताकि इसकी अखंडता, मजबूती और परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि के संदेह/संकेत के मामले में, आंतरिक लेखा परीक्षा की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। कंपनी ऐसे मामलों को, यदि आवश्यक हो, आगे की जांच के लिए बाहरी लेखा परीक्षक को भी भेज सकती है। बाहरी लेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित नीति के अनुसार होगी। लेखा परीक्षकों के साथ अनुबंध संबंधी करार में लेखा परीक्षा पूरी करने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा के लिए उपयुक्त खंड शामिल होंगे। उधारकर्ता के साथ ऋण करार में ऋणदाता के कहने पर इस तरह के लेखा परीक्षा के संचालन के लिए खंड शामिल होगा। ऐसे मामलों में जहां प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण विलंबित होती है, कंपनी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और आंतरिक जांच/मूल्यांकन के आधार पर खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में निष्कर्ष पर पहुंचाएगी।

यदि किसी खाते की पहचान धोखाधड़ी के रूप में की जाती है, तो अन्य समूह कंपनियों के उधार खाते, जिनमें एक या अधिक प्रमोटर/पूर्णकालिक निदेशक आम हैं, को भी धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से जांच के अधीन किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) ने उधारकर्ता खाते से संबंधित जांच को स्वतः शुरू किया है, हडको खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करेगा।

कंपनी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ अपने करारों में आवश्यक नियम और शर्तें शामिल कर सकती है ताकि उन स्थितियों में उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके जहां उनके

द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही/दुर्व्यवहार धोखाधड़ी के लिए एक कारण कारक पाया जाता है।

17. <u>दंडात्मक उपाय</u>

धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत और रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों/संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं से जुड़े संस्थाओं/व्यक्तियों को समझौता सेटलमेंट के मामले में धोखाधड़ी की गई राशि/ सेटलमेंट राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख से **5** साल की अवधि के लिए नई या अतिरिक्त ऋण सुविधाओं की मांग करने से रोक दिया जाएगा।

अनिवार्य कूलिंग अवधि की समाप्ति के बाद इन व्यक्तियों/संस्थाओं से ऋण सुविधाओं के लिए अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेक प्रबंधन के पास होगा।

18. <u>समाधान के तहत खातों का उपचार</u>

यदि धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत इकाई ने बाद में आईबीसी के तहत या आरबीआई द्वारा जारी किए गए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रुपरेखा के तहत एक संकल्प लिया है, जिसके परिणामस्वरूप इकाई/व्यावसायिक उद्यम के प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव हुआ है, तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने वाला संबंधित विभाग यह जांच करेगा कि क्या इकाई धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत बनी हुई है या समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण हटाया जा सकता है। हालांकि, यह पूर्ववर्ती प्रमोटर/निदेशक, उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा, जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे।

आईबीसी या विवेकपूर्ण सेटलमेंट के तहत समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद दंडात्मक उपाय संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, जबकि यह पूर्ववर्ती प्रमोटर/निदेशक, उन व्यक्तियों पर लागू होते रहेंगे जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे।

19. <u>विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग</u>

यदि आवश्यक हो, तो हडको धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट उचित एलईए, यानी राज्य पुलिस प्राधिकरण आदि को लागू कानूनों के अधीन करेगा। धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट एलईए को देना संबंधित नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। कॉर्पोरेट कार्यालय में, व्यवसाय इकाई प्रमुख एलईए को घटना की रिपोर्ट करेगा।

20. आरबीआई को रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना

धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने की प्रक्रिया आर.बी.आई. के लागू मास्टर निर्देशों के अनुसार आर.बी.आई. को शुरू की जाएगी तथा इसकी सूचना दी जाएगी। हडको 'क्लोजर मॉड्यूल' का उपयोग करके धोखाधड़ी के मामलों को बंद करेगा, जहां नीचे बताए गए अनुसार निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं:

i) एल.ई.ए./न्यायालय के पास लंबित धोखाधड़ी के मामलों का निपटारा हो चुका है; तथा

ii) कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच पूरी हो चुकी है।

इसके अलावा हडको **25** लाख रुपये तक की राशि वाले उन धोखाधड़ी के मामलों को बंद कर सकता है, जहां कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो, की गई है तथा:

i) जांच चल रही है या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय तक एल.ई.ए. द्वारा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है; या

ii) एल.ई.ए. द्वारा परीक्षण न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है तथा न्यायालय में परीक्षण आरम्भ नहीं हुआ है या एफ.आई.आर. के पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय तक न्यायालय के समक्ष लंबित है।

नोडल अधिकारी/व्यवसाय इकाई प्रमुख मामले को बंद करने के लिए धोखाधड़ी प्रकोष्ठ को अनुशंसा करेगा। धोखाधड़ी प्रकोष्ठ द्वारा सक्षम प्राधिकारी अर्थात सीएमडी के अनुमोदन से मामले को बंद किया जाएगा। रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के सभी बंद मामलों में, हडको लेखा परीक्षकों द्वारा जांच के लिए ऐसे मामलों का विवरण बनाए रखेगा।

21. विधि लेखा परीक्षा

बड़े मूल्य के ऋण खातों अर्थात **₹1** करोड़ और उससे अधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में शीर्षक विलेख और अन्य संबंधित शीर्षक दस्तावेज, ऋण पूरी तरह से चुकाए जाने तक आवधिक कानूनी लेखा परीक्षा और पुनः सत्यापन के अधीन होंगे। बड़े मूल्य के ऋण खातों का कानूनी ऑडिट वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

22. अन्य ऋणदाताओं / एआरसी को बेचे गए धोखाधड़ी खाते

मास्टर निर्देश-आरबीआई (ऋण जोखिम हस्तांतरण) निर्देश, 2021 के अनुसार, समय-समय पर अद्यतन किए गए, हडको ऋण खाता/ऋण सुविधा को अन्य ऋणदाताओं/एआरसी को हस्तांतरित करने से पहले धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से जांच पूरी करेगा। कंपनी ऐसे खातों को अन्य ऋणदाताओं/एआरसी को बेचने से पहले आरबीआई को रिपोर्ट करेगी। ऐसे मामलों में जहां

खाते एआरसी को बेचे जाते हैं, हडको संबंधित एआरसी से समय-समय पर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करके आरबीआई को ऐसे खातों में बाद के घटनाक्रमों की रिपोर्ट करना जारी रखेगा।

23. लेखा परीक्षकों की भूमिका

लेखापरीक्षा के दौरान, यदि खाते या दस्तावेजों में कोई ऐसा मामला पाया जाता है जिसमें धोखाधड़ी वाले लेनदेन की संभावना हो, तो लेखापरीक्षक को इसे वरिष्ठ प्रबंधन और/या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के ध्यान में लाना चाहिए।

आंतरिक लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम, पता लगाने, वर्गीकरण, निगरानी, रिपोर्टिंग, बंद करने और वापस लेने में शामिल नियंत्रण और प्रक्रियाएं शामिल होंगी, साथ ही धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन रुपरेखा में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में देखी गई कमजोरियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें रिपोर्टिंग में देरी, गैर-रिपोर्टिंग, कर्मचारियों की जवाबदेही जांच का संचालन, विवेकपूर्ण प्रावधान आदि शामिल हैं।

24. अन्य निर्देश

i. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
ii. सभी विभागाध्यक्ष/संशोधन आयुक्त धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने तथा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
iii. सभी विभागाध्यक्ष/संशोधन आयुक्त एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसके तहत कर्मचारियों को किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो उनके संज्ञान में आती है, बिना किसी उत्पीड़न के डर के।
iv. निगम समय-समय पर धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।
v. इस नीति के प्रावधानों और आरबीआई के लागू मास्टर निर्देशों/परिपत्रों के बीच किसी भी असंगति के मामले में, संबंधित मास्टर निर्देश/परिपत्र मान्य होंगे।
vi. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरबीआई के लागू मास्टर निर्देशों के अनुरूप इस नीति की व्याख्या और मामूली संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। हालांकि, यदि कोई संशोधन होता है, तो उसे आगामी बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल को सूचित किया जाएगा।
vii. नीति की समीक्षा तीन वर्षों में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार अधिक बार की जाएगी।
viii. नीति हडको की आधिकारिक वेबसाइट और इंट्रानेट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

*****

अनुलग्नक - ए

प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के लिए रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1	कंपनी से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ / वित्तीय साधनों / खातों की जालसाजी या परिवर्तन।		
2	अद्यतनीकरण के समय केवाईसी दस्तावेज़ / अन्य आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रस्तुत करने में इनकार या देरी।		
3	संपार्श्विक के स्वामित्व पर विवाद छिपाना या मौजूदा प्रभारी होल्डर की मंजूरी के बिना कई उधारदाताओं से एक ही संपार्श्विक वसूलना।		
4	निरीक्षण स्थगित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध किया जाना।		
5	अनुचित संबंधित पक्ष लेनदेन।		
6	ऋण निधियों का अनुचित उपयोग।		
7	प्रमोटरों/प्रबंधन/प्रमुख कार्मिकों/लेखा परीक्षकों में बार-बार बदलाव।		
8	प्रवर्तक/उधारकर्ता के बारे में प्रतिकूल मीडिया रिपोर्ट।		
9	उधारकर्ता की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी जिससे धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न हो।		
10	उधारकर्ता द्वारा अन्य ऋणदाताओं/पक्षों के साथ की गई धोखाधड़ी।.		
11	बिना किसी वैध कारण के परियोजना के लक्ष्यों में लगातार देरी होना।		
12	उधारकर्ता/प्रमोटर को जारी किए गए नियामक जुर्माना या कानूनी नोटिस ।		
13	उधारकर्ता द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छिपाना/धोखा देना।		
14	आपूर्ति नहीं की गई वस्तुओं या प्रदान नहीं की गई सेवाओं (पूर्ण या आंशिक रूप से) के लिए भुगतान को अधिकृत करना।		

15	देय होने पर ब्याज और/या मूलधन का जानबूझकर भुगतान न करना।		
राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में धोखाधड़ी के उपरोक्त सभी कारणों से उनके उचित स्तर पर निपटा जाएगा क्योंकि प्रत्येक राज्य के पास अपना स्वयं का सतर्कता तंत्र मौजूद है।			

नोट: उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है। धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी की ओर ले जाने वाला कोई भी अन्य मामला प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की रूपरेखा का हिस्सा हो सकता है और इसकी सूचना दी जाएगी।